भारतीय पशु चिकित्सा परिषद / VETERINARY COUNCIL OF INDIA

ए विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-१९००६६ / A-Wing, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

पंजीयन प्रमाण-पत्र / Registration Certificate





भा.प.चि.प. प्रमाण-पत्र सं / V.C.I./ Regn. No. : 12231

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. 2121 कुमार वमा विशिष्टियाँ नीचे दर्शित की गई है भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, १६८४ (१६८४ का ५२) के उपबंधों के अधीन सम्पर्क रूप से रिजस्ट्रीकरण कर लिया गया है।/ This is to certify that Dr. Yosh Kumah Vehma whose particulars are shown

below has been duly registered under the provisions of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984)

, ,		,		
पिता ∕पति के नाम सहित नाम Name with Father's / H usband 's Name	जन्मतिथि Date of Birth	पता Address	अर्हता और उसकी तारीख / Qualification and Date thereof	रजिस्ट्रीकरण का स्थान और तारीख (यदि किसी राज्य पशु चिकित्सा परिषद के पास पहले ही रजिस्ट्रीकृत है।) Date and Place of Registration (If already registered with a State Veterinary Council)
Dr. Yash Kuman Verma S/O Sh Chhagan Verma	24/67/1996	Saket Nagari, Mangrul Road, Khangone -451001, Madhya Pradesh	Veterinary Science	NoMPSVC/3917 Dated-18/08/2020 (Madhya Pradesh State Veterinary (ouncil)

प्रमाणित किया जाता है कि यह भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायी रिजस्ट्र में ऊपर विनिर्दिष्ट नाम की सत्य प्रतिलिपि है इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की मुद्रा लगा दी गई है और सचिव ने अपने हस्ताक्षर किए है। यह प्रमाण-पत्र तब तक विधिमान्य है जब तक कि पशु-चिकित्सक का नाम भारतीय पशु-चिकित्सा अधिनियम, १६८४ (१६८४ का ५२) के उपबंधों के अनुसार रिजस्ट्र से हटा नहीं दिया जाता है।/ Certified that this is true copy of the above specified name in the Indian Veterinary Practitioner's Register. In witness thereof the seal of Veterinary Council of India and the signature of the Secretary are affixed below. This certificate is valid until the name of Veterinary Practitioner is removed from the Register as per the provisions of the Indian Veterinary Council Act, 1984.

नई दिल्ली/NEW DELHI तारीख/Dated, the 20 01 20 23

🖊' सचिव / SECRETARY भारतीय पशु चिकित्सा परिषद / VETERINARY COUNCIL OF INDIA

आवश्यक सूचना / IMPORTANT NOTICE

- 9. प्रत्येक रॉजिस्ट्रीकृत पशु-चिकित्सा व्यवसायी को अपने पते में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना सचिव को तुर्रत देनी चाहिए और सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए जो उसके संबंध में सचिव द्वारा उसे भेजें जाएँ। / Every registered Veterinary Practitioner should be careful to send to the Secretary immediate notice of any change of his address and also answer all queries that may be sent to him by the Secretary in regard thereto.
- २. भारतीय पशु-चिकित्सा अधिनियम, १६८४ के अधीन रिजस्ट्रीकृत सभी व्यक्ति पशु-चिकित्सा औषिष और पशु-पालन का व्यवसाय करने के लिए विधिक रूप से है। / All persons registered under Indian Veterinary Council Act, 1984, are legally qualified to practice veterinary medicine and animal husbandry.
- ३. इस प्रमाण-पत्र के संसोधन के दशा में जैसा विनियम ६ के अथनी उपर्विधत है मूल नाम परिवर्तित नाम के ठीक नीचे कौष्ठकों () के भीतर दर्शित किया जाएगा। / In case of amendment of this certificate as provided under regulation 6, the original name shall be indicated within parenthesis (
- ४. बिंदि प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी की जाती है जैसा विनियम १० के अधीन उपबन्धित है तो इस प्रमाण-पत्र के ऊपर के दाएँ कोने पर "दूसरी प्रति" शब्द लाल स्याही में स्पष्ट अक्षरों में मुद्रित किया जाएगा। / In case a duplicate Certificate is issued as provided under regulation 10, the word 'DUPLICATE shall be printed in red ink in block letters on top right hand corner of this certificate.